

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**

क्रमांक / न्यायालय / सरफेसी / 2017 / 134 / 2018

दिनांक 7/8/2018

जिला पुलिस अधीक्षक,  
भीलवाड़ा

**विषय:**— सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 द्वारा निम्नांकित प्रकरण में सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अंकित किया है।

सचिव, आयोजना (आईजी विभाग) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ.25(1) प्लान/आईएफ 6/2005/पार्ट-11 दिनांक 10.03.2006 द्वारा भी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चल/अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने बाबत तुरन्त आवश्यक कार्यवाही एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं:-

क्र0सं0	नाम व पता बाकीदार	सिक्यूरिटी की अवस्थिति का विवरण
1	1.श्री भंवरलाल पिता छीतर खारोल निवासी म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 2.श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल खारोल नि0 म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 3.श्री दौलतसिंह पिता दिलीपसिंह शक्तावत नि0 म0नं0 162, ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा	अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल नि0 बबराणा त0 बनेड़ा के नाम ग्राम पंचायत बबराणा के द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टा विलेख सं0 37 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया। भूखण्ड का क्षेत्रफल 85 फीट गुणा 31 फीट कुल 292.77 वर्गगज के पट्टे का अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल एवं श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवर खारोल नि0 बबराणा के नाम पंजीबद्ध किया जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। (संस्था में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार)

अतः उक्तानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 को कब्जा सुपुर्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- तहसीलदार, बनेड़ा
- 2- प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में" ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**

क्रमांक / न्यायालय / सरफेसी / 2017 / 134 / 2018

दिनांक 7/8/2018

जिला पुलिस अधीक्षक,  
भीलवाड़ा

**विषय:-** सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 द्वारा निम्नांकित प्रकरण में सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अंकित किया है।

सचिव, आयोजना (आईजी विभाग) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ.25(1) प्लान/आईएफ 6/2005/पार्ट-II दिनांक 10.03.2006 द्वारा भी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चल/अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने बाबत तुरन्त आवश्यक कार्यवाही एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं:-

क्र0सं0	नाम व पता बाकीदार	सिक्यूरिटी की अवस्थिति का विवरण
1	1.श्री भंवरलाल पिता छीतर खारोल निवासी म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 2.श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल खारोल नि0 म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 3.श्री दौलतसिंह पिता दिलीपसिंह शक्तावत नि0 म0नं0 162, ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा	अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल नि0 बबराणा त0 बनेड़ा के नाम ग्राम पंचायत बबराणा के द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टा विलेख सं0 37 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया। भूखण्ड का क्षेत्रफल 85 फीट गुणा 31 फीट कुल 292.77 वर्गगज के पट्टे का अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल एवं श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवर खारोल नि0 बबराणा के नाम पंजीबद्ध किया जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। (संस्था में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार)

अतः उक्तानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 को कब्जा सुपुर्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- तहसीलदार, बनेड़ा
- 2- प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

**कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा**

क्रमांक / न्यायालय / सरफेसी / 2017 / 134 / 2018

दिनांक 7/8/2018

जिला पुलिस अधीक्षक,  
भीलवाड़ा

**विषय:-** सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 द्वारा निम्नांकित प्रकरण में सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु अंकित किया है।

सचिव, आयोजना (आईजी विभाग) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ.25(1) प्लान/आईएफ 6/2005/पार्ट-II दिनांक 10.03.2006 द्वारा भी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन ऑफ फाईनेन्सियल असेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 के अन्तर्गत सम्बन्धित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चल/अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने बाबत तुरन्त आवश्यक कार्यवाही एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं:-

क्र0सं0	नाम व पता बाकीदार	सिक्यूरिटी की अवस्थिति का विवरण
1	1.श्री भंवरलाल पिता छीतर खारोल निवासी म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 2.श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवरलाल खारोल नि0 म0 नं0 151, खटीक मोहल्ला ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा 3.श्री दौलतसिंह पिता दिलीपसिंह शक्तावत नि0 म0नं0 162, ग्राम बबराणा त0 बनेड़ा	अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल नि0 बबराणा त0 बनेड़ा के नाम ग्राम पंचायत बबराणा के द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टा विलेख सं0 37 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया। भूखण्ड का क्षेत्रफल 85 फीट गुणा 31 फीट कुल 292.77 वर्गगज के पट्टे का अप्रार्थी श्री भंवर पिता छीतर खारोल एवं श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि भंवर खारोल नि0 बबराणा के नाम पंजीबद्ध किया जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है को रहन रखा गया। (संस्था में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार)

अतः उक्तानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 को कब्जा सुपुर्द कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

o/c जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1- तहसीलदार, बनेड़ा
- 2- प्राधिकृत अधिकारी, आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड(पूर्व में " ए0यू0हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड) मुख्य कार्यालय 201-202,2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 ।

o/c जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा